5/c

राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई–3८)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2010–11 / दिनांकः

आदेश

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यकम (IWMP) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति में पंचायत समितियां एवं जिला परिषद की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं क्रियान्विति में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1 परियोजना कियान्वयन एजेन्सी उप समिति (जलग्रहण) एवं जलग्रहण विकास दल की सक्रिय भागीदारी से समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुच्छेद 51–55 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी।

2 परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास इकाई को प्रेषित किया जायेगा। परियोजना प्रबन्धक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का तकनीकी रूप से परीक्षण करेंगे एवं तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर पुन परियोजना कियान्वयन एजेन्सी को अनुशंषा सहित प्रेषित करेंगे।

3 परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का अनुमोदन सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामसभा में परियोजनाओं की सभी सम्बन्धित ग्राम सभाओं में करवाया जावेगा।

4 ग्रामसभा के अनुमोदन के उपरान्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा पंचायत समिति की स्थायी समिति, उत्पादन कार्यक्रम (पंचायत राज अधिनियम 56) द्वारा 15 दिवस में अनुमोदित की जायेगी।

5. पंचायत समिति की अभिशंषा उपरान्त परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) परियोजना प्रबन्धक को 7 दिवस में प्रेषित की जायेगी, जो कि जिला परिषद की स्थायी समिति, विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम (पंचायत राज अधिनियम 57) द्वारा 15 दिवस में अनुमोदित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना का प्रबोधन एवं समन्वयन निम्नानुसार किया जायेगा :–

(अ). ग्राम पंचायत :

(i) परियोजनान्तर्गत कार्यकलापों में नरेगा से प्रस्तावित कार्यों को ग्राम पंचायत की नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर अनुमोदन करेगी।

(ii) ग्राम पंचायत प्रत्येक माह की अन्तिम बैठक में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में प्रस्तावित कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी एवं परियोजना की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। परियोजना हेतु कार्यरत जलग्रहण विकास दल के सदस्य ग्राम पंचायत में परियोजना की नवीनतम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत करायेंगे।

(ब) पंचायत समिति :

(i) पंचायत समिति द्वारा साधारण सभा की मासिक बैठक में परियोजना के कार्यकलापों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। पंचायत समिति की साधारण सभा को परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा नवीनतम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

(ii) पंचायत समिति परियोजना क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से समन्वयन एवं कन्वरजेन्स में सहयोग प्रदान करेगी एवं क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को निराकरण करेगी।

(स) जिला परिषद :

(i) जिला परिषद द्वारा परियोजना की DPR में प्रस्तावित कार्यों की लागत को जिले की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाया जायेगा।

(ii) जिला परिषद की साधारण सभा की प्रत्येक बैठक में परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। परियोजना प्रबन्धक परियोजना से सम्बन्धित नवीनतम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से साधारण सभा को अवगत करवायेंगे।

(iii) जिला परिषद द्वारा परियोजना क्षेत्र में अन्य विभागों की योजनाओं के साथ परियोजनाओं के कार्यकलापों के समन्वयन स्थापन में सहयोग किया जायेगा एवं अन्य विभागों के कन्वर्जेन्स से परियोजना क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों से अनुमोदन उपरान्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.18(आई–34)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 5354-5811 दिनांक 22.3.11

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज., जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
9. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
11. उपनिदेशक(प्रशासन / आईडब्ल्यूएमपी / ग्रा.वि. / प्रशिक्षण / गु.नि.स / कृषि / एनडब्ल्यूडीपी / लाईवलिहुड), निदेशालय, जयपुर।
12. परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास इकाई, जिला परिषद
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति.......................को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की प्रति आपके कार्यक्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।
14. परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति
15. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक